



हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला-176213

Himachal Pradesh Board of School Education, Dharamshala-176213

क्रमांक: हि०शि०बो०(3)/सा०शा०-231(भाग-2)-

1947-1960

दिनांक: 24.07.2024

“अधिसूचना”

अध्यक्ष हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड, बोर्ड अधिनियम 1968 की धारा 19(3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाणपत्रों में नाम/माता/पिता/जन्म तिथि में शुद्धि व नाम बदलने तथा गोद लेने वाले माता/पिता का नाम दर्शाने के शुल्क को रुपये 400/- से बढ़ा कर रुपये 800/- करने तथा अन्य राज्यों के बोर्ड से उत्तीर्ण की गई कक्षा दसवीं व बारहवीं की समकक्षता/मान्यता हि० प्र० बोर्ड की कक्षा दसवीं व बारहवीं के समकक्ष की verification प्रदान करने के शुल्क को रुपये 600/- निर्धारित करने के सहस आदेश प्रदान करते हैं। यह आदेश 31.07.2024 के उपरान्त प्राप्त होने वाले आवेदनों पर लागू होंगे।

संलग्न: Revised G-625A Form

डा० (मेजर) विशाल शर्मा, हि०प्र०से०
सचिव

पृष्ठांकन संख्या: यथोपरि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक: 24.07.2024

1. सचिव (शिक्षा), हि० प्र० सरकार, शिमला-171002।
2. निदेशक, उच्चतर शिक्षा, हि० प्र०, शिमला 171002।
3. वरिष्ठ/कनिष्ठ आशुलिपिका/ आशुटंकका माननीय अध्यक्ष/ सचिव, हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला।
4. अतिरिक्त/संयुक्त/उप/सहायक सचिव, हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला।
5. समस्त अनुभाग अधिकारी हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला को उपरोक्त अधिसूचना अनुसार आगामी कार्यवाही करने हेतु।
6. अनुभाग अधिकारी आई० टी० शाखा हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला को उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार संलग्न Revised G-625A (Application form for correction in Candidate's/Father's/Mother's name & D.O.B.) फार्म एवं अधिसूचना hpbose.org पर अपलोड करने हेतु।
7. समस्त जिला प्रबंधक/ प्रभारी पुस्तक वितरण केन्द्र हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड।
8. प्रभारी, लोक सम्पर्क कार्यालय हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला।

— sd —

डा० (मेजर) विशाल शर्मा, हि०प्र०से०
सचिव